तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान सरकार बनाम ..... मुकदमा नं० 172/17 निर्णय दि० 6/12/17

विपक्षी अभि के खिलाफ रिपोर्ट में गलत नाम से दर्शाया गया है तथा ग्राम का नाम गलत होने से गुरगा है तथा ग्राम का नाम गलत होने से कारण है गया जबकि ग्राम का सही नाम रामसरण है। फरियादी पर जालसाजी सम्बन्धित से वादी का बार दुकानदी इल्जाम साबित है तथा जमरा दुकानदी किये जाने योग्य है। सरा वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः सरा वादी डिक्री किया जाता है तथा विपक्षी अभि सं० 302, 302/365 वाके ग्राम रामराम तो सिकराय जिला-दौसा के खिलाफ रिपोर्ट में सही दर्शाया गया रामीराम के स्थान पर दुकानदी करके गुरगा गया रामीराम सही करने के बारे हस्तीकार सिकराय को रिट जाते हैं तथा सं० 304 वाके ग्राम रामराम तो सिकराय के खिलाफ रिपोर्ट में सही निवासी ग्राम कारणा के स्थान पर निवासी ग्राम रामसरणा सही करने के बारे हस्तीकार सिकराय को रिट जाते हैं। तरजीह डिक्री बड़ी हो फरियादी फैसला शुमार होकर जरूर से नकल दी निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर उच्चारण किया।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा